PRIORITY

No.2/16/2010-E.III(BBE)(Part.II)/1812
Government of India
Ministry of Water Resources, RD & GR
(Establishment-III Section) / (ISO 9001 : 2008 Certified)
***

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 15th September, 2016

To,

The Chairman, Brahmaputra Board, Basistha, Guwahati-781029

Subject:- Forwarding of Recruitment Rules for the post of Chief Engineer (Level-I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary, Brahmaputra Board, a statutory body under Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

Sir,

On the above subject I am directed to forward herewith a copy of Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Chief Engineer (Level-I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary, Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2016 notified vide GSR 816 (E) under Part-II, Section 3, Sub-section (i) published in the Gazette of India Extraordinary dated 8.8.2016 (Issue of 24th August, 2016). These may also be uploaded on the website of the Brahmaputra Board.

It is requested that necessary action recruitment / promotion may be taken immediately.

Yours faithfully,
Dixit

Encl:- As above.

(R.N. Dixit)
Under Secretary to the Government of India
Tele:23718165

Copy with enclosures to:-

1. The Chief Librarian, Parliament House Library, New Delhi.
2. Lok Sabha Secretariat (Committee Branch), New Delhi.
3. Rajya Sabha Secretariat (Committee Branch), New Delhi.
4. The Department of Personnel & Training, Establishment (RR) Division, North Block, New Delhi.
5. Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.
6. Ministry of Law (Legislative Department), Shastri Bhawan, New Delhi.
7. Ministry of Law (Official Language Wing), Shastri Bhawan, New Delhi.
8. Under Secretary (e-Gov.)/NIC Cell, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, New Delhi with request to upload the aforesaid Recruitment Rule on the web-site of the Ministry.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2016/भाद्र 2, 1938
No. 585] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2016/BHADRA 2, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 816(अ).—केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मुख्य इंजीनियर (लेवल I), मुख्य इंजीनियर (लेवल II) और सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में मुख्य इंजीनियर (स्तर 1), मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) और सचिव के पदों के पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (मुख्य इंजीनियर (स्तर 1), मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) और सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना– ये नियम इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा,अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7.व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. मुख्य इंजीनियर (स्तर-1)	1*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37,400/- 67,000/ रु० + ग्रेड वेतन 10,000/- रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा

	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	प्रोन्नति: ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे मुख्य इंजीनियर (स्तर-2) या सचिव में से जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्षों की नियमित सेवा की हो; या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जो वेतन बैंड-4, + ग्रेड वेतन 8900 रु० 8700 रु० में अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर या अधीक्षण इंजीनियर का पद धारण किए हुए हो और जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में दो वर्षों या तीन वर्षों की सेवा की है, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों — (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय मे सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंध के क्षेत्र में अन्वेषण, योजना, परिकल्पना निष्पादन, प्रचालन का 15 वर्ष का अनुभव; (iii) बाढ़ प्रबंध, नदी प्रशिक्षण कार्य और साधारण प्रशासन के लिए मास्टर प्लान, व्यापक प्लान तैयार करने का 15 वर्षों का अनुभव।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव या विशेष सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) - अध्यक्ष 2. सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3 अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. मुख्य इंजीनियर (स्तर-2)	1*(2016) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37,400-67,000/- रु० + ग्रेड वेतन 8900/- रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक	प्रोन्नति : ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे अधीक्षण इंजीनियरों में से, जिन्होंने इस श्रेणी में छ: वर्षों की नियमित सेवा की हो; प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी –	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	संविदा भी है) द्वारा	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जो उस श्रेणी में दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैड-4 + ग्रेड वेतन 8700 रु० में पद धारण करते हों, या (iii) जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैड-3+ ग्रेड वेतन 7600 रु० में पद धारण करते हों, और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंध के क्षेत्र में अन्वेषण, योजना, परिकल्पना निष्पादन, प्रचालन का 12 वर्ष का अनुभव (iii) बाढ प्रबंध, नदी प्रशिक्षण कार्य और साधारण प्रशासन के लिए मास्टर प्लान, व्यापक प्लान तैयार करने का 12 वर्षों का अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता मानी जाएगी	1. सचिव या विशेष सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) - अध्यक्ष 2 . सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3 अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड - सदस्य	
		टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. सचिव	1*(2016) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37,400/- 67,000/-रु० + ग्रेड वेतन 8900/- रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) द्वारा	प्रोन्नति : ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे अधीक्षण इंजीनियरों में से, जिन्होंने इस श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो; प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जो उस श्रेणी में दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन 8700 रु० में पद धारण करते हों, या (iii) जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड-3+ ग्रेड वेतन 7600 रु० में पद धारण करते हों, और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंध के क्षेत्र में अन्वेषण, योजना, परिकल्पना निष्पादन, प्रचालन का 12 वर्ष का अनुभव (iii) बाढ़ प्रबंध, नदी प्रशिक्षण कार्य और साधारण प्रशासन के लिए मास्टर प्लान, व्यापक प्लान तैयार करने का 12 वर्षों का अनुभव। (ख) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन	पदोन्नति पर विभागीय प्रोन्नति समिति- प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए 1. सचिव या विशेष सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) - अध्यक्ष 2. सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग -सदस्य 3 अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		बैंड-4 + ग्रेड वेतन 8700 रु० में पद धारण करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और जो 12 वर्षों का अनुभव रखते हों; या (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में छः वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 7600 रु० में पद धारण करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और जो 12 वर्षों का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 2/16/2010-ई-III(बीवीई.)]

यू. पी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2016

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Water Resources, Brahmaputra Board (Chief Engineer (Level-I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary) Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Chief Engineer (Level – I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary in the Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Chief Engineer (Level–I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary, Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay.**—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Engineer (Level-I)	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Pay band-4 Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 10,000	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** From amongst the Chief Engineer (Level-II) or Secretary of Brahmaputra Board with two years regular service in the grade; or **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central or State Governments or public sector undertakings or recognised Research Institutions or Statutory Organisations- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Superintending Engineer in the Pay band- 4 with grade pay of Rs.8900 or Rs. 8700 with two years or three years regular service respectively in the grade; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) 15 years' experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or	Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: 1. Secretary or Special Secretary (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) - Chairman 2. Member, Central Water Commission - Member 3. Chairman, Brahmaputra Board - Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

				(iii) 15 years' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration. Note 1. - Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Chief Engineer (Level-II)	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Pay band-4 Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs. 8,900.	Selection.	Not applicable.	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** From amongst the Superintending Engineers of Brahmaputra Board with six years regular service in the grade. **Deputation (including short term contract):-** Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognised Research Institutions or statutory organisations- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in the pay band – 4 plus grade pay of Rs.8700 with two years regular service in the grade; or (iii)holding the post in pay band – 3 plus grade pay of Rs.7600 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; and (B) possessing the following educational qualifications and experience- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) 12 years' experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or (iii) 12 years' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration shall be considered as an additional qualification. Note 1. - Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years. Note 2. - The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty six years. Note 3.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: 1. Secretary or Special Secretary (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) - Chairman 2. Member, Central Water Commission - Member 3. Chairman, Brahmaputra Board - Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Secretary	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Pay band-4 Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs. 8900	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** From amongst the Superintending Engineers with six years regular service in the grade. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognised Research Institutions or Statutory organisations: (A) (i) holding an analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in the pay band -4 plus grade pay of Rs. 8700 with two years regular service in the grade; or (iii) holding the post in pay band-3 plus grade pay of Rs.7600 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and possessing the following educational qualifications and experience- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent ; and (ii) 12 years' experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or (iii) 12 years' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration; or (B) (i) All India Service officers holding the post in pay band-4 with grade pay of Rs. 8700 with two years of regular service in Central Government or State Governments and having 12 years' experience; or (ii) All India Service officers holding the post in pay band – 3 with grade pay of Rs. 7600 with six years regular service in Central Government or State Governments and having 12 years' experience. Note 1. - Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.	Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of: 1. Secretary or Special Secretary (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) - Chairman 2. Member, Central Water Commission - Member 3. Chairman, Brahmaputra Board - Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

				Note 2. - The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty six years. Note 3.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

[F. No. 2/16/2010-E.III (BBE)]

U.P. SINGH, Addl. Secy.

RAJ KUMAR

Digitally signed by RAJ KUMAR
Date: 2016.08.24 23:13:38 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.